चित्रकूट पुलिस

(1). "मिशन शक्ति फेज-5.0: का द्वितीय चरण महिलाओं की सुरक्षा व स्वावलंबन की नई पहल — जनपद चित्रकूट में महिला सुरक्षा, सम्मान, स्वालंबन, को समर्पित पुलिस अधीक्षक चित्रकूट श्री अरुण कुमार सिंह के निर्देशन में जनपद के समस्त थानों की एण्टीरोमियों टीम द्वारा "मिशन शक्ति फेज-5.0 के द्वितीय चरण के तहत महिलाओं एवं बालिकाओं को उनके अधिकारों के प्रति जागरुक किया गया तथा हेल्पलाइन नम्बरों व कानूनी प्रावधान के बारे में विस्तृत जानकारी दी गई।

इस अभियान का मुख्य उद्देश्य महिलाओं/बालिकाओं की सुरक्षा, सम्मान एवं स्वावलंबन सुनिश्चित करना है-

1. जन-जागरूकता एवं शिकायत निस्तारण, स्कूल/कॉलेज, वर्किंग वूमेन हॉस्टल में जागरूकता कार्यक्रम, निम्न आय वर्ग बस्तियों, गांवों, वार्डों, मोहल्लों में चौपाल कार्यक्रम प्रमुख बाजारों, कस्बों व चौराहों पर जागरूकता व शिकायत निस्तारण।

2.महिला बीट पुलिस की भूमिका, प्रत्येक थाना क्षेत्र की महिला बीट पुलिस द्वारा जन-जागरूकता, साइबर अपराध से बचाव एवं साइबर हेल्पलाइन 1930 की जानकारी, महिला समस्याओं का त्वरित निस्तारण।

3.बालिकाओं एवं महिलाओं के लिए विशेष आत्मरक्षा प्रशिक्षण, गुड टच/बैड टच की जानकारी।

महिला/बालिकाओं को सुरक्षा सम्बन्धित सेवाएँ

1076 – मुख्यमंत्री हेल्पलाइन

1090 – वीमेन पावर लाइन

181 – वीमेन हेल्पलाइन

112 – पुलिस आपातकालीन सेवा

102 – गर्भवती महिलाओं एवं नवजात शिशुओं हेतु एम्बुलेंस

108 – सामान्य एम्बुलेंस सेवा

1098 – चाइल्ड लाइन

101 – अग्निशमन सेवा

1930 – साइबर हेल्पलाइन व www.cybercrime.gov.in के बारे में जानकारियां दी गई।

इस दौरान उपस्थित महिलाओं/बालिकाओं को अवगत कराया गया कि सभी थानों में महिलाओ की सुरक्षा/सहायता हेतु एक महिला हेल्पडेस्क बनाया गया है, जहाँ पर महिला पुलिसकर्मी द्वारा महिलाओं की शिकायत सुनी जाती है तथा समय से उनका निस्तारण किया जाता है। इसके साथ ही मौजूद महिलाओं/बालिकाओं को महिला सुरक्षा सम्बन्धी चलायी जा रही हेल्पलाइन नम्बरों के सम्बन्ध में पंपलेट वितरित करते हुए विस्तार से जानकारी देने के साथ ही सभी महिलाओं/बालिकाओं को हेल्पलाइन नम्बर का निर्भीक होकर उपयोग करने हेतु तथा महिलाओ को आत्मनिर्भर बनने व निर्भीक होकर अपने अपने क्षेत्र में कार्य करने/शिक्षा ग्रहण करने के लिये प्रेरित किया गया तथा सोशल मीडिया पर अपनी प्राइवेसी रखते

हुये उसका प्रयोग करने के लिये कहा गया। इसी क्रम में महिलाओं/बालिकाओ को जनपद में गठित "एंटी रोमियो स्क्वायड" टीम के बारे में अवगत कराया गया तथा बताया गया कि सादे वस्त्रों में तथा प्राइवेट वाहनों से सार्वजनिक स्थलों, स्कूल, कालेज व कोचिंग संस्थान के आसपास व ऐसे स्थान जहाँ पर महिलाओ एवं बालिकाओ का अधिकतर आवागमन होता है उनको भौतिक रुप से चिन्हित कर शोहदो/मनचलो के द्वारा Eve Teasing इत्यादि आपत्तिजनक हरकतो को रोकने के उद्देश्य से सघन चेकिंग कर लोगो से पूछताछ की जाती है व अनावश्यक रुप से मौजूद शोहदों/मनचलो को हिदायत/कार्यवाही की जाती।

(2). पुलिस अधीक्षक चित्रकूट श्री अरुण कुमार सिंह द्वारा पुलिस कार्यालय में आये हुये फरियादियों की शिकायतों को सुनकर शिकायतों के त्वरित निस्तारण हेतु सम्बन्धित प्रभारी निरीक्षक/थानाध्यक्ष को आवश्यक दिशा-निर्देश दिये गए।

(3). पुलिस अधीक्षक श्री अरुण कुमार सिंह ने थाना पहाड़ी पर नव नियुक्त रिक्रूट आरक्षियों के व्यवहारिक प्रशिक्षण की प्रगति एवं गुणवत्ता की समीक्षा की। इस दौरान पुलिस अधीक्षक ने नव नियुक्त रिक्रूट आरक्षियों से सीधे संवाद कर प्रशिक्षण की स्थिति, व्यावहारिक ज्ञान, कानून व्यवस्था, जनसंपर्क, ड्यूटी आचरण एवं क्षेत्रीय परिचय के संबंध में विस्तृत जानकारी प्राप्त की।

मुख्य बिन्दु:

सभी थानों पर नव नियुक्त रिक्रूट आरक्षियों को व्यावहारिक प्रशिक्षण के दौरान वरिष्ठ अधिकारियों/कर्मचारियों के प्रत्यक्ष पर्यवेक्षण में रखा जा रहा है।

थाना स्तर पर दर्ज FIR, गश्त, जांच, प्राथमिकी लेखन, विपक्षी/शिकायतकर्ता से व्यवहार, कानून की धाराओं का व्यावहारिक ज्ञान आदि विषयों पर विशेष ध्यान दिया जा रहा है।

प्रशिक्षण के दौरान आरक्षियों की कमियों एवं कठिनाइयों को चिन्हित कर तत्काल सुधारात्मक कदम उठाने के निर्देश दिए गए।

पुलिस अधीक्षक ने सख्त हिदायत दी कि प्रशिक्षण केवल औपचारिक न हो, बल्कि वास्तविक क्षेत्रीय अनुभव प्रदान करने वाला हो।

प्रभारी निरीक्षक पहाड़ी को नव नियुक्त रिक्रूट आरक्षियों के नियमित मूल्यांकन एवं रिपोर्ट भेजने के निर्देश दिए गए।

पुलिस अधीक्षक ने कहा कि नव नियुक्त आरक्षी जनपद की भविष्य की मजबूत कड़ी हैं। इसलिए उनका प्रशिक्षण गुणवत्तापूर्ण, व्यावहारिक एवं अनुशासनपूर्ण होना अत्यंत आवश्यक है। किसी भी प्रकार की लापरवाही या ढिलाई बर्दाश्त नहीं की जाएगी।

(4). पुलिस अधीक्षक चित्रकूट श्री अरुण कुमार सिंह के निर्देशन में सामाजिक रिश्तों को बचाने हेतु किये जा रहे प्रयासों के क्रम में थानाध्यक्ष महिला थाना नीलम देवी व उनकी टीम द्वारा आपसी परिवारिक झगड़े को समाप्त कराकर परिवार में सुलह कराते हुए परिवार को टूटने से बचाया।

आवेदिका गंगोत्री देवी पत्नी सुशील निवासिनी मानिकपुर कल्याण केन्द्र शिवनगर कर्वी चित्रकूट द्वारा थानाध्यक्ष महिला थाना के समक्ष पति व ससुरालीजनों के विरूद्ध मारपीट कर घर से निकाल देना, जान से मारने की धमकी एवं अतिरिक्त दहेज की मांग करने के सम्बन्ध में प्रार्थना पत्र दिया गया था। थानाध्यक्ष

महिला थाना नीलम देवी एवं उनकी टीम द्वारा शिकायतकर्ता की शिकायतों को विस्तारपूर्वक सुनकर समझकर द्वितीय पक्ष से सम्पर्क करके उन्हें महिला थाने पर बुलाया गया तथा दोनों पक्षों को समझाया गया । परिवारिजन आपसी सुलह होने पर एक दूसरे के साथ-साथ आपस में सामन्जस्य बिठाकर एवं परिवारिक दायित्यों को सही प्रकार से निर्वहन करने हेतु सलाह दी गयी।

समझौता कराने वाली टीमः-

1.थानाध्यक्ष महिला थाना नीलम देवी

2.महिला आरक्षी शबनाज